

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.22(1)न्याय/22 पार्ट-2

जयपुर, दिनांक

**::आज्ञा::**

राजस्थान विधि सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने पद के कार्य के साथ-साथ उनके नाम के सम्मुख अंकित विभाग में रिक्त पदों का अग्रिम आदेशों तक अतिरिक्त कार्य सम्पादित किये जाने हेतु तुरन्त प्रभाव से निर्देशित किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम (सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री)	वर्तमान पदस्थापन स्थान	अतिरिक्त कार्य हेतु आवंटित विभाग
1.	रामेश्वर सिंह लखावत	सहायक विधि परामर्शी कार्यालय राजस्व मण्डल अजमेर	उप विधि परामर्शी जिला कलक्टर, कार्यालय ब्यावर (सप्ताह में 2 दिवस गुरुवार से शुक्रवार)
2.	नन्दकिशोर	वरिष्ठ विधि अधिकारी अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर	उप विधि परामर्शी कार्यालय जिला कलक्टर, अजमेर। (सप्ताह में 2 दिवस गुरुवार से शुक्रवार)

साथ ही इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आज्ञा दिनांक 15.02.2023 द्वारा श्री रामेश्वर सिंह लखावत, सहायक विधि परामर्शी, कार्यालय राजस्व मण्डल, अजमेर को दिये गये अतिरिक्त कार्य के आदेश एवं इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आज्ञा दिनांक 11.08.2023 द्वारा श्री नन्दकिशोर, वरिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर को दिये गये अतिरिक्त कार्य के आदेश उपरोक्त दोनों कार्मिकों की हद तक निरस्त किया जाता है। शेष कार्मिकों के आदेश यथावत रहेंगे।

आज्ञा से

(अंकित रमन)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट शासन सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. संबंधित विभाग।
4. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी अतिरिक्त कार्य के स्थान पर अविलम्ब कार्यग्रहण कर रिपोर्ट इस विभाग को भिजवाए।
5. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Document certified by ANKIT RAMAN  
<ankitraman.ar@gmail.com>

Digitally Signed by ANKIT  
RAMAN  
Designation: Joint Secretary  
Date :05-12-2024 12:58:26